भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4896
(23 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

4896. श्री विजय कुमारः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के प्रशिक्षण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन॰आर॰एल॰एम॰) के विषय में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए कोई कदम उठाया ह
(ख) यदि हां, तो बिहार राज्य में क्या स्थिति ह और
(ग) सरकार द्वारा किन एजेंसियों या सार्वजनिक संस्थानों के माध्यम से उक्त योजना से ग्रामीण लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा ह

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): प्रमुख ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रम के रूप में दीन दयाल अंत्योदय योजना (ीएवाई) - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को भारत सरकार ने 2011 में शुरू किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के कार्यकुशल और प्रभावी संस्थागत मंचों का निर्माण करना ह जिससे स्थायी आजीविकाओं और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि के माध्यम से पारिवारिक आय बढ़ाने में उन्हें सहायता मिल सके। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता के लिए कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर समर्पित मानव संसाधनों की नियुक्ति की गई ह राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) को राज्यों में ीएवाई-एनआरएलएम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया ह समुदाय, सामुदायिक संस्थाओं, सामुदायिक संवर्गों, मिशन कर्मचारियों तथा अन्य स्टेकहोल रों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर समर्पित प्रशिक्षण संरचना का प्रावधान इस कार्यक्रम में किया

गया है। इस मिशन के अंतर्गत क्षमता विकास प्रयासों में सहायता के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर संसाधन व्यक्तियों का पूल भी तैयार किया गया है।

(ख): बिहार राज्य में डीएवाई-एनआरएलएम का कार्यान्वयन बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी (बीआरएलपीएस) कर रही है और इस कार्यक्रम का नाम 'जीविका' है। इस कार्यक्रम को राज्य के सभी 38 जिलों के 534 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। अब तक 1.00 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 8.49 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया गया है। इन एसएचजी को 58.786 ग्राम संगठनों (वीओ) में और इन वीओ को आगे 1,333 क्लस्टर स्तरीय संघों (सीएलफ) में शामिल किया गया है। इन एसएचजी और इनके संघों को कुल 1749.01 करोड़ रु. की सामुदायिक निधि (परिक्रामी निधि (आरएफ) और सामुदायिक निवेश सहायता निधि (सीआईएसएफ)) उपलब्ध कराई गई है।

जीविका ने मॉड्यूलों वाले विकसित मानकों और कर्मचारियों एवं अनुभवी सामुदायिक व्यवसायियों में से संसाधन व्यक्यिों के पूल के माध्यम से कर्मचारियों, सामुदायिक, संस्थाओं और सामुदायिक संवर्गों के क्षमता विकास की सशक्त व्यवस्था तैयार की है। प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं शिक्षण केन्द्रों (टीएलसी) की स्थापना की गई है। क्षमता विकास पहलों के अंतर्गत 7.15 लाख एसएचजी, 44931 वीओ और 309 सीएलएफ को उनकी संस्थाओं के प्रबंधन के लिए आधारभूत प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अब तक जीविका ने सामुदायिक स्तर पर मार्गदर्शन सहायता के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के विषय में 3.58 करोड़ सामुदायिक सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं।

(ग): राज्यों में डीएवाई-एनआरएलएम का कार्यान्वयन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) के माध्यम से किया जा रहा है। प्रत्येक एसआरएलएम में राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों पर समर्पित व्यावसायिक कार्यान्वयन संरचना है। इसके अतिरिक्त, ये एसआरएलएम आवश्यकतानुसार इस कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए अन्य सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी करते हैं।

******